राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की भूमिका: मुंबई पोर्ट अथॉरिटी मामला

संवैधानिक निकाय और न्यायपालिका | समाचार संदर्भ: 28 जुलाई 2026 (सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय) | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

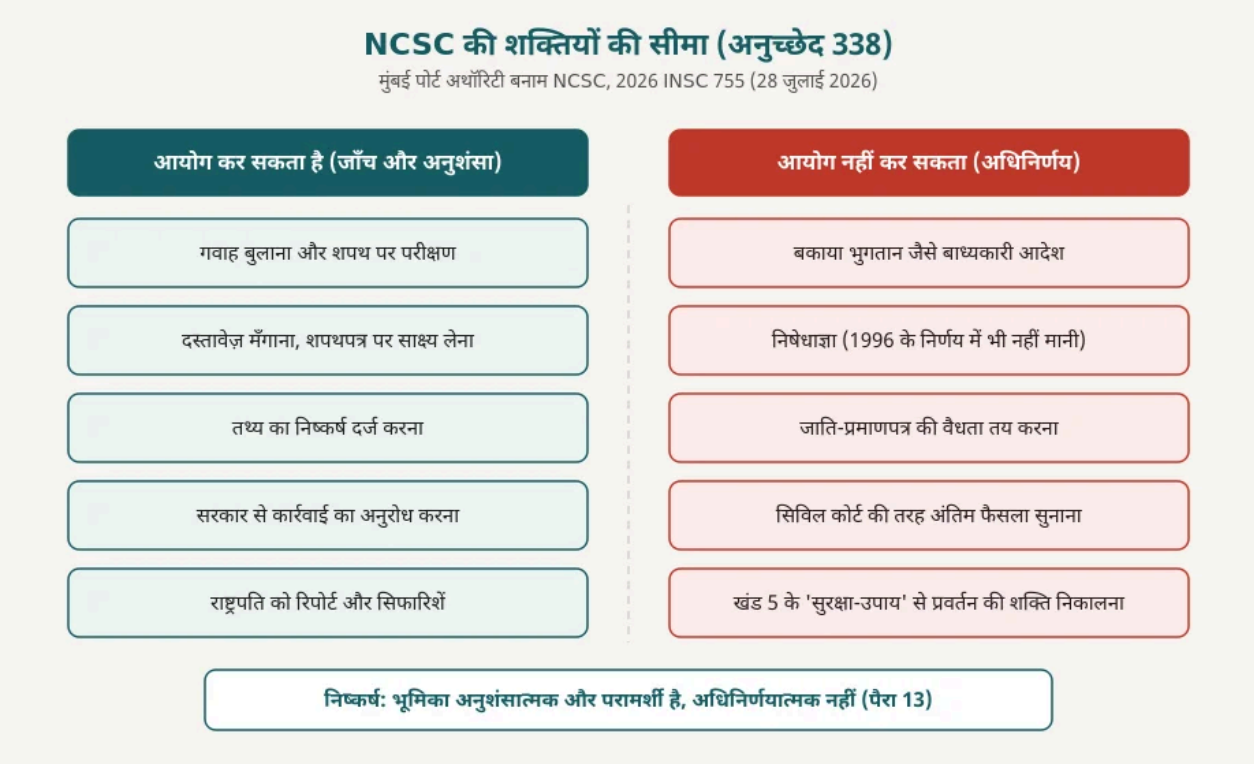
संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) की व्यवस्था करता है। इसका इतिहास कई चरणों में बना है: निर्णय के पैरा 6 के अनुसार यह संविधान के प्रारूप में अनुच्छेद 299 था, जिसमें एक विशेष अधिकारी का प्रावधान था; 1990 में 65वें संशोधन से यह अधिकारी आयोग बना; 2003 के 89वें संशोधन से इसे NCSC (अनुच्छेद 338) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A) में बाँटा गया; और 2018 के 102वें संशोधन से अनुच्छेद 338B के रूप में पिछड़ा वर्ग आयोग जुड़ा। अनुच्छेद 338(5) आयोग के कर्तव्य गिनाता है — सुरक्षा-उपायों की जाँच और निगरानी, शिकायतों की जाँच, विकास-योजना पर सलाह, राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट और सिफारिशें। अनुच्छेद 338(8) जाँच करते समय आयोग को दीवानी अदालत की कुछ शक्तियाँ देता है, जैसे गवाह बुलाना, दस्तावेज़ मँगाना और शपथपत्र लेना। प्रश्न यह था कि क्या इन शक्तियों में आयोग का सेवा-मामलों में बकाया चुकाने जैसे आदेश देना भी आता है।

खबरों में क्यों

सर्वोच्च न्यायालय ने 28 जुलाई 2026 को मुंबई पोर्ट अथॉरिटी बनाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मामले (2026 INSC 755; न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ) में कहा कि NCSC के पास अधिनिर्णय की शक्ति नहीं है; उसकी भूमिका अनुशंसात्मक और परामर्शी है। पोर्ट अथॉरिटी की एक अनुसूचित जाति की कर्मचारी माधवी चंदोरकर को वरिष्ठता-निर्धारण की प्रक्रिया में स्टेनोग्राफर ग्रेड-I से ग्रेड-II में अवनत किया गया था। उन्होंने NCSC में शिकायत की और आयोग ने 23 अक्टूबर 2024 के आदेश (1 अक्टूबर 2024 की बैठक के कार्यवृत्त सहित) में निर्देश दिए, जिनमें 30 दिन में बकाया चुकाना भी शामिल था। बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इसे आयोग की शक्ति के भीतर माना। सर्वोच्च न्यायालय ने खंडपीठ को गलत ठहराया, उच्च न्यायालय का निर्णय रद्द किया और बकाया चुकाने के निर्देश को संविधान के विपरीत तथा विधि में 'non-est' घोषित किया। अपील स्वीकार हुई।

प्रमुख अवधारणा: 'सिविल कोर्ट की शक्तियाँ' का अर्थ — प्रक्रिया की शक्ति, फैसले की नहीं

अनुच्छेद 338(8) कहता है कि आयोग के पास जाँच करते समय 'सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ' होंगी, परंतु उसके तुरंत बाद 'अर्थात्' (namely) लगाकर कुछ विशिष्ट मामले गिनाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसी 'namely' को निर्णायक माना: गिनाई गई शक्तियाँ सीमित हैं और वे जाँच को सुगम बनाने की प्रक्रियात्मक शक्तियाँ हैं। इसलिए आयोग साक्ष्य ले सकता है, दस्तावेज़ मँगा सकता है, तथ्य दर्ज कर सकता है, और फिर संबंधित सरकार — केंद्र या राज्य — से उस पर कार्रवाई करने को कह सकता है। पर साक्ष्य के आधार पर बाध्यकारी आदेश देना सिविल कोर्ट वाली शक्ति है, जो आयोग को नहीं मिली। न्यायालय ने 1996 के एक पुराने निर्णय का हवाला दिया, जिसमें आयोग के पास अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति भी नहीं मानी गई थी।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

निर्णय	**मुंबई पोर्ट अथॉरिटी बनाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 2026 INSC 755 — 28 जुलाई 2026; पीठ: न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह (SLP(C) 33359/2025 से उत्पन्न सिविल अपील)**
मुख्य प्रश्न	क्या NCSC सेवा-मामलों में आदेश दे सकता है और क्या वे आदेश निदेशात्मक हैं या बाध्यकारी (पैरा 2)
आयोग का आदेश	23 अक्टूबर 2024 — 1 अक्टूबर 2024 की बैठक के कार्यवृत्त में आरक्षण-रोस्टर का पालन, पदोन्नति नियमों के अनुसार, 30 दिन में बकाया भुगतान और 45 दिन में कार्रवाई-रिपोर्ट के निर्देश
निर्णय का सार	NCSC तथ्य का निष्कर्ष दर्ज कर सरकार से कार्रवाई करने को कह सकता है; अधिनिर्णय की शक्ति नहीं, 'अधिक से अधिक अनुशंसात्मक' (पैरा 9); भूमिका अनुशंसात्मक और परामर्शी, अधिनिर्णयात्मक नहीं (पैरा 13)
अंतिम आदेश	उच्च न्यायालय का निर्णय रद्द; बकाया चुकाने का निर्देश संविधान के विपरीत और विधि में 'non-est'; अपील स्वीकार (पैरा 14)
जो तय नहीं हुआ	वरिष्ठता और पदोन्नति में आरक्षण संबंधी 2002 के कार्यालय-ज्ञापन की वैधता न्यायालय के सामने मुद्दा नहीं थी (पैरा 3.3)

न्यायालय ने तर्क कैसे गढ़ा — तीन कदम

अनुच्छेद 338(5) का पाठ: न्यायालय ने खंड 5 के हर उपखंड को पढ़ा और पाया कि कहीं 'आदेश देने' जैसा शब्द नहीं है। उपखंड (a) जाँच-निगरानी, (b) शिकायतों की जाँच, (c) सलाह, (d) राष्ट्रपति को रिपोर्ट, (e) रिपोर्ट में सिफारिशें और (f) राष्ट्रपति द्वारा सौंपे अन्य कार्य हैं। NCSC की यह दलील कि 'सुरक्षा-उपाय' शब्द प्रवर्तन का अंग है, न्यायालय ने नहीं मानी; उसके अनुसार 'अधिकार और सुरक्षा-उपाय' को साथ-साथ पढ़ा जाना चाहिए (पैरा 9)।

उपखंड (a) और (d) से पुष्टि: उपखंड (a) में आयोग का काम निगरानी है कि विधायिका द्वारा दिए सुरक्षा-उपाय जमीन पर लागू हों; सुरक्षा-उपाय देना विधायिका का कार्य है। उपखंड (d) में आयोग सुरक्षा-उपायों के कार्य पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। इन दोनों से न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आयोग के निर्देश सिफारिश के रूप में ही सोचे गए हैं (पैरा 10)।

पुराने निर्णयों से समर्थन: ऑल इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक SC/ST एम्प्लॉईज वेलफेयर एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1996) 6 SCC 606 में कहा गया था कि सिविल कोर्ट की शक्तियाँ आयोग को जाँच और पूछताछ के सीमित प्रयोजन के लिए मिली हैं और निषेधाज्ञा देने की शक्ति इसमें नहीं आती। कलेक्टर बनाम अजीत जोगी (2011) 10 SCC 357 में माना गया था कि जाति-प्रमाणपत्र के बारे में निर्णय देना आयोग का काम नहीं। भबानी प्रसाद जेना बनाम उड़ीसा राज्य महिला आयोग (2010) 8 SCC 633 में महिला आयोग के बारे में समान भाव था (पैरा 11-13)।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

संवैधानिक निकायों की सीमा: NCSC, NCST और NCBC जैसे आयोग संवैधानिक निकाय हैं और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से बने हैं, पर न्यायालय ने कहा कि विधायिका ने उन्हें अनुशंसात्मक और परामर्शी भूमिका दी है, अधिनिर्णयकारी नहीं। वे अधिनिर्णय के काम को अपने हाथ में लेने वाली संस्था नहीं हैं (पैरा 13)। इससे शक्तियों के पृथक्करण में अदालतों और आयोगों की भूमिकाएँ साफ होती हैं।

जो शिकायतकर्ता के लिए बचा रास्ता: निर्णय से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि आयोग का हस्तक्षेप बेकार है: वह जाँच कर सकता है, तथ्य दर्ज कर सकता है और सरकार को सिफारिश भेज सकता है, जिस पर संविधान के अनुसार सरकार को कार्रवाई की रिपोर्ट संसद के सामने रखनी होती है (अनुच्छेद 338(6))। पर बाध्यकारी राहत के लिए अदालत या सक्षम न्यायाधिकरण का रास्ता ही रहता है।

सावधानियाँ और खुले प्रश्न

निर्णय का दायरा: यह निर्णय NCSC की शक्तियों पर है; इसने वरिष्ठता में आरक्षण या अवनति के गुण-दोष पर कुछ तय नहीं किया। 2002 के कार्यालय-ज्ञापन को हाईकोर्ट ने 2016 में रद्द किया था और उसके विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका लंबित है — न्यायालय ने इसे इस मामले से बाहर रखा (पैरा 3.3)।

प्रवर्तन की कमी का प्रश्न: सिफारिश मानने की बाध्यता न होने से आयोग की प्रभावशीलता सरकारी इच्छाशक्ति पर निर्भर रहती है। यह एक नीतिगत बहस है कि क्या आयोगों को अधिक अधिकार देने के लिए कानून बनना चाहिए; न्यायालय ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया।

अन्य आयोगों पर लागू होने का प्रश्न: न्यायालय ने अपने तर्क में NCST (अनुच्छेद 338A) और NCBC (अनुच्छेद 338B) का नाम लेकर कहा कि वे भी संवैधानिक निकाय हैं (पैरा 13); पर निर्णय का विशिष्ट विश्लेषण अनुच्छेद 338 के पाठ पर टिका है। अन्य निकायों में समान निष्कर्ष लगाने से पहले उनके अपने अनुच्छेद का पाठ देखना होगा।

आगे की राह

आगे तीन दिशाएँ संभव हैं: (i) NCSC अपनी जाँच के निष्कर्षों को ठोस, साक्ष्य-आधारित सिफारिशों के रूप में रखे और कार्रवाई की निगरानी रिपोर्टों के माध्यम से बनाए रखे; (ii) सरकारें आयोग की सिफारिशों पर समयबद्ध प्रतिक्रिया का ढाँचा बनाएँ, ताकि अनुच्छेद 338(6) की रिपोर्टिंग प्रभावी हो; (iii) पीड़ित कर्मचारी अदालतों या सेवा-न्यायाधिकरणों में बाध्यकारी राहत माँगें।

अवधारणा में अंतर

तीन भेद याद रखें: (1) जाँच बनाम अधिनिर्णय — आयोग जाँच करता है, फैसला अदालत देती है। (2) सिफारिश बनाम आदेश — आयोग सरकार से कार्रवाई 'के लिए कह' सकता है, 'दे' नहीं सकता। (3) प्रक्रियात्मक शक्ति बनाम मूल शक्ति — गवाह बुलाना या दस्तावेज़ मँगाना प्रक्रिया है; बकाया चुकवाना या निषेधाज्ञा देना मूल शक्ति है।

मेंस दृष्टि

GS-II: संवैधानिक, सांविधिक और अर्ध-न्यायिक निकाय; कमजोर वर्गों के लिए संस्थागत तंत्र; GS-II: न्यायपालिका की भूमिका। उत्तर में तथ्य (28 जुलाई 2026; अनुच्छेद 338(5) और (8); 'namely'; 1996 का निर्णय) और संतुलन (आयोग की सीमा और उसकी उपयोगिता) दोनों रखें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक अनुशंसात्मक संस्था है, अधिनिर्णयकारी नहीं।' सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए और आयोग को प्रभावी बनाने के उपाय सुझाइए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: अनुच्छेद 338 और आयोग का इतिहास।

मुख्य भाग में: निर्णय: खंड 5 और 8 की व्याख्या, 'namely' का तर्क; सीमाएँ: बाध्यकारी आदेश की शक्ति नहीं; उपयोगिता: जाँच, निगरानी, रिपोर्ट और संसद के समक्ष अनुपालन; सुझाव: समयबद्ध सरकारी प्रतिक्रिया, पारदर्शी रिपोर्टिंग, वैकल्पिक न्यायिक उपाय।

निष्कर्ष में: आयोग की जाँच, निगरानी और साक्ष्य-आधारित सिफारिशों को समयबद्ध सरकारी प्रतिक्रिया से प्रभावी बनाने के सुझाव दें; प्रक्रियात्मक दीवानी शक्तियों को बाध्यकारी राहत देने की शक्ति न मानें और वरिष्ठता-आरक्षण के गुण-दोष पर निष्कर्ष न निकालें।

स्रोत

- सर्वोच्च न्यायालय — मुंबई पोर्ट अथॉरिटी बनाम NCSC, 2026 INSC 755, निर्णय-पाठ (28 जुलाई 2026)

सभी तथ्य और पैरा-संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित पूरे निर्णय-पाठ को पढ़कर लिए गए हैं। 1996, 2010 और 2011 के पुराने निर्णयों का उल्लेख केवल उतना है जितना इस निर्णय ने उन्हें उद्धृत किया; मूल निर्णय हमने अलग से नहीं पढ़े।

यह भी पढ़ें: अनुच्छेद 142: पूर्ण न्याय की शक्ति और प्रक्रियागत जवाबदेही | SIR की वैधता पर मुहर: ADR निर्णय, मतदाता-सूची की शुद्धता और नागरिकता-जाँच की सीमा-रेखा।

याद रखें: तीन बातें याद रखें: सर्वोच्च न्यायालय ने 28 जुलाई 2026 को कहा कि NCSC अनुच्छेद 338 के अंतर्गत जाँच और अनुशंसा कर सकता है, अधिनिर्णय नहीं; बकाया भुगतान का उसका निर्देश 'non-est' ठहरा; और निर्णय ने वरिष्ठता में आरक्षण के प्रश्न पर कुछ तय नहीं किया।